न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ. बजरंगसिंह चौहान, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 79/2017

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
1 राजूदास पुत्र मदनदास 2 शिवदास पुत्र मदनदास 3 लक्ष्मीदेवी बेवा मदनदास जातिगण वैष्णव निवासी निमाज तहसील जैतारण जिला पाली		1 मूर्ति भगवान श्री गोपालजी वाके गोपालद्वारा मन्दिर निमाज सास्वत नागालिग जरिये महन्त पन्नादास उर्फ प्रेमकिशार चेला महन्त लिकमीदास जाति वैष्णव (साधु) निवासी महन्त गोपालद्वारा मन्दिर, निमाज तहसील जैतारण

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–

1. श्री मोहम्मद शरीफ काज़ी, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट्स
2. श्री श्यामसिंह सोलंकी, विद्वान अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट

–: निर्णय :–

दिनांक : 18.12.2017

अपीलाण्ट्स की ओर से यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विरूद्ध रेस्पोडेन्ट के प्रस्तुत कर उपखण्ड अधिकारी जैतारण द्वारा राजस्व विविध प्रकरण संख्या 22/2016 मूर्ति भगवान गोपालजी बनाम राजुदास वगैरा में पारित निर्णय दिनांक 06.11.2017 को अपास्त कराने का निवेदन किया। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया। उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सपठित आदेश 40 नियम 1 एवं धारा 151 सी0पी0सी0 के तहत प्रस्तुत कर ग्राम निमाज II के खसरा नम्बर 1360, 1361, 1362 कुल खसरा 3 जिसका कुल रकबा 64 बीघा भूमि में अपीलाण्ट/अप्रार्थीगण द्वारा खुर्दबुर्द करना बताते हुए अप्रार्थीगण को रोकने एवं भूमि को कुर्क कर रिसीवर नियुक्त कराने का निवेदन किया। इस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश के जरिये तहसीलदार जैतारण को प्रकरण में रिसीवर नियुक्त किया। उक्त वादस्थ भूमि के राजस्व रेकर्ड सम्वत् 2024 से 2040 की जमाबन्दीयों अनुसार अपीलाण्ट की व्यक्तिगत खातेदारी दर्ज है तथा अपीलाण्ट का लगातार कब्जा काश्त है। जागीरें एवं डोलीयां जब्त होने के पश्चात उक्त भूमि पर जो व्यक्ति काबिज होता था, वह व्यक्ति राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने के पश्चात बाई ऑपरेशन ऑफ लॉ खातेदार हो गया। इसी कानूनी स्थिति से लिखमदास चेला टीकमदास को बतौर काश्तकार खातेदार दर्ज किया गया है। लिखमदास द्वारा इस भूमि में से 1/2 हिस्से की वसीयत अपीलाण्ट संख्या 1 व 2 के पक्ष में की है। जिस पर अपीलाण्ट काबिज काश्त है। वर्ष 1992 में जरिये नामान्तरकरण संख्या 151 के तहसीलदार

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

जैतारण द्वारा उक्त भूमि अपीलाण्ट के पिता/पति के स्थान पर मन्दिर गोपालजी केनाम दर्ज कर दी। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष स्थाई व्यादेश का दावा प्रस्तुत किया है, जबकि स्थाई व्यादेश का दावा वे व्यक्ति ला सकते है, जिनका मौके पर कब्जा हो। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का मौके पर किसी भी रूप में कब्जा काश्त नही है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा जो टी0आई0 प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, उसमें भी कब्जा अपीलाण्ट का माना है तथा अपने प्रार्थना पत्र के पद संख्या 3 में जबरन फसल बोना, पेड काटना तारबन्दी करना अंकित किया तथा उक्त कार्य को डेमेज होना अंकित किया, जबकि ये कार्य डेमेज की स्थिति में नही आकर भूमि को इम्प्रूवमेन्ट करने की परिभाषा में आते है। जब अपीलाण्ट द्वारा भूमि में सुधार कार्य किया जा रहा था, तो इस स्थिति में रिसीवर नियुक्त ही नही किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में राजस्व विविध प्रकरण संख्या 284/13 में मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाऐ रखने के आदेश पारित किये गये तथा उसी सन्दर्भ में जैर अपील आदेश के जरिये भूमि को कुर्क कर तहसीलदार जैतारण को रिसीवर नियुक्त किया गया है, जो दोनो ही अपने आप में विरोधाभाषी है। इसी भूमि के सम्बन्ध में पन्नादास ने अपीलाण्ट के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाई, जिसमें पुलिस द्वारा अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया गया है, उसमें भी इस तथ्य को उल्लेखित किया गया है। अनुसंधान में पुलिस द्वारा जो पर्चा मौका तैयार किया, उसमें भी अपीलाण्ट का कब्जा काश्त बताया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि में प्रदत्त प्रक्रिया एवं आज्ञापक नियमों की पालना किये बिना जैर अपील आदेश पारित किया है, जो विधि विरूद्ध है। अतः अपील स्वीकार करावें एवं जैर अपील आदेश को अपास्त करावे। विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस के समर्थन में आ0आर0टी0 2007 (2) पेज 1050, आर0आर0डी0 1986 पेज 88, आर0आर0डी0 1991 पेज 297, आर0आर0टी0 2010 (1) पेज 203, आर0आर0डी0 2012 पेज 507, आर0आर0डी0 1991 पेज 351, सी0सी0सी0 1999 (सप्ली.) पेज 91, आर0आर0डी0 1982 पेज 307, आर0आर0डी0 1974 पेज 124, आर0आर0डी0 1974 पेज 477, आर0आर0डी0 1982 पेज 307, आर0आर0डी0 1995 पेज 640, आर0आर0डी0 1989 पेज 402, आर0आर0डी0 1989 पेज 620, आर0आर0डी0 1987 पेज 128, आर0आर0डी0 1987 पेज 392 में प्रतिपादित न्यायिक सिद्धान्त का सहारा लिया।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर रिसीवर नियुक्त करने का आदेश पारित किया है। जिसके विरूद्ध अपीलाण्ट द्वारा यह अपील प्रस्तुत की है। अपीलाण्ट ने अपनी अपील में स्वीकार किया है कि उक्त भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की अर्थात मन्दिर की खातेदारी भूमि है। अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष भी ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किया, जिससे यह साबित हो सके कि जैर अपील वादस्थ भूमि पर रेस्पोडेन्ट का कब्जा नही रहा हो। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 वर्ष 1978 से महन्त है, इस कारण महन्त की हैसियत से अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दावा लायें है, जिसका उन्हे पूर्ण अधिकार है। स्वयं अपीलाण्ट ने यह स्वीकार किया हैं कि वर्ष 1992 से उक्त भूमि डोली के रूप में राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मन्दिर के हितों की रक्षा के लिए रिसीवर नियुक्त किया है, जो रेस्पोडेन्ट के खिलाफ नही है। अपीलाण्ट्स संख्या में अधिक है, जिससे उक्त भूमि की रक्षा हेतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

आदेश के जरिये तहसीलदार जैतारण को रिसीवर नियुक्त किया एवं भूमि को कुर्क करने के आदेश पारित किये है, जिसमें किसी प्रकार की त्रुटी नही है। अपीलाण्ट द्वारा धारा 151 सी0पी0सी0 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया कि तहसीलदार स्वयं ने भूमि का कब्जा न लेकर भू0अ0नि0 एंव पटवारी हल्का को अधिकृत किया है, अतः नीलामी कार्यवाही को रोकने का अनुतोष चाहा। यह प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में चलने योग्य नही है, क्योंकि मूल वाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है तथा भू0अ0नि0 एवं पटवारी हल्का तहसीलदार के अधीनस्थ कर्मचारी है, जिसे तहसीलदार आदेश देने हेतु समक्ष है। तहसीलदार द्वारा अपने मातहम कर्मचारीयों से निर्णय की पालना करवाई है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक बाधा नही है।.इस आदेश से यदि अपीलाण्ट व्यथित है, जो वे उस आदेश को सक्षम न्यायालय में चुनौती दे सकतें है। जैर अपील प्रकरण में भूमि मन्दिर की है तथा मन्दिर के हितों की रक्षा हेतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश पारित कर तहसीलदार जैतारण को भूमि कुर्क करने एवं रिसीवर नियुक्त किया है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटी नहीं है। अतः अपील खारिज करावे। विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस के समर्थन में न्यायिक सिद्धान्त आर0आर0टी0 2008 (2) पेज 1187 तथा आर0आर0डी0 2014 पेज 553 में प्रतिपादित न्यायिक सिद्धान्त का सहारा लिया।

उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया एवं प्रस्तुत न्यायिक सिद्धान्तों का ससम्मान अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सपठित आदेश 40 नियम 1 एवं धारा 151 सी0पी0सी0 के तहत प्रस्तुत कर ग्राम निमाज II के खसरा नम्बर 1360, 1361, 1362 कुल खसरा 3 जिसका कुल रकबा 64 बीघा भूमि में अपीलाण्ट/अप्रार्थीगण द्वारा खुर्दबुर्द करना बताते हुए अप्रार्थीगण को रोकने एवं भूमि को कुर्क कर रिसीवर नियुक्त कराने का निवेदन किया। इस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट्स/अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया एवं अपीलाण्ट्स/अप्रार्थीगण द्वारा जवाब प्रस्तुत करने के पश्चात समुचित सुनवाई करते हु जैर अपील आदेश के जरिये भूमि कुर्क कर तहसीलदार जैतारण को रिसीवर नियुक्त किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के संलग्न राजस्व रेकर्ड मौजा निमाज II की जमाबन्दी सम्वत् 2069 से 2072 के खसरा नम्बर 1360, 1361 व 1362 कुल खसरा 3 जिसका कुल रकबा 64 बीघा भूमि डोली बनाम मन्दिर श्री गोपाल जी महाराज गोपाल द्वारा निमाज खातेदार दर्ज है। अपीलाण्ट्स द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जवाब प्रार्थना पत्र एवं उसके समर्थन में जो दस्तावेज प्रस्तुत किए है उनमें जमाबन्दी सम्वत् 2024 से 2027, 2028 से 2031, 2032 से 2035, राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 06.01.2010, 24.05.2007 एवं 25.11.2011 एवं लिकमदास द्वारा दिनांक 23.09.1978 को अपीलाण्ट संख्या 1 व 2 के पक्ष में तहरीर की गई वसीयत की प्रति, पुलिस थाना में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट, अनुसंधान रिपोर्ट एवं दस्तावेज तथा अन्तिम प्रतिवेदन की प्रतियां प्रस्तुत की। पुलिस द्वारा अनुसंधान रिपोर्ट में बयानात में परस्पर मिलान नहीं होनें एवं घटना दिनांक 14.01.2014 की होने एवं प्रार्थी द्वारा पुलिस थाना में रिपोर्ट दर्ज न करवा कर दिनांक 17.01.2014 को सीधे न्यायालय में इस्तगासा प्रस्तुत करना संदेहास्पद होना बताते हुए अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं दस्तावेजात का अवलोकन

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

करने पर यह प्रकट होता है कि राजस्व रेकर्ड के अनुसार जैर अपील वादस्थ भूमि रेस्पोडेन्ट मन्दिर मूर्ति की खातेदारी भूमि है। अपीलाण्ट्स उक्त भूमि को अपनी पुश्तैनी होना बताते हुए तथाकथित रूप से काबिज काश्त होना बताते है, किन्तु विभिन्न न्यायालयों द्वारा यह अभिमत प्रकट किया है कि टाईटल ही पज़ेशन का बेस्ट प्रूफ है तथा हस्तगत प्रकरण में टाईटल रेस्पोडेन्ट का है, इस सन्दर्भ में अपीलाण्ट के कब्जे काश्त के तथ्य गौण पाये जाते है। हालांकि यह तथ्य मूल वाद के विषय के है, किन्तु इस प्रकरण में इन तथ्यों को उठाये जाने के कारण इनको रेखांकित किया जाना आवश्यक हैं। अब प्रश्न यह प्रकट होता हैं कि क्या मन्दिर की भूमि, जिस पर तथाकथित रूप से अन्य (अजनबी) व्यक्ति, जो बिना टाईटल के काबिज हो, के विरूद्ध भूमि पर रिसीवर नियुक्त किया जाना न्यायोचित है अथवा नही ? इस सम्बन्ध में विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक सिद्धान्त आ0आर0टी0 2007 (2) पेज 1050, आर0आर0डी0 1986 पेज 88, आर0आर0डी0 1991 पेज 297, आर0आर0टी0 2010 (1) पेज 203 अवश्य ही सम्माननीय है, किन्तु हस्तगत प्रकरण से तथ्याभिन्न होने के कारण इस प्रकरण पर पूर्णतः चस्पा नही होते है। अपीलाण्ट द्वारा अपने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सी0पी0सी0 के द्वारा यह जाहिर किया कि तहसीलदार द्वारा भूमि का कब्जा प्राप्त करने हेतु भू0अ0नि0 एवं पटवारी हल्का को अधिकृत किया है, जो विधि विरूद्ध है, इस कारण जैर अपील आदेश शून्य प्रभावी हो चुका है। इन तथ्यों के समर्थन में उपरोक्त न्यायिक सिद्धान्तों का सहारा लिया गया है। अपीलाण्ट द्वारा अपने उपरोक्त तथ्यों को साबित करने हेतु ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया, जो यह ताईद करता हो कि तहसीलदार द्वारा पटवारी हल्का एवं भू0अ0नि0 को कब्जा प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया गया हो। इस कारण अपीलाण्ट के इन तथ्यों में कोई बल नहीं है। लिहाला अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सी0पी0सी0 के तहत पोषणीय नही पाया जाता है।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत एक खातेदार काश्तकार को अपनी भूमि में सुधार कार्य हेतु छूट प्रावधित है, किन्तु हस्तगत प्रकरण में अपीलाण्ट किसी भी रूप में खातेदार काश्तकार नही होने के कारण मात्र अजनबी की हैसियत में है, जिसे काश्तकारी अधिनियम के तहत किसी भी प्रकार से अनुतोष देय नही है। इस कारण यदि अपीलाण्ट द्वारा उक्त भूमि पर किसी भी रूप में तारबन्दी, कब्जा या काश्त आदि की जाती है, तो वह निश्चय ही भूमि सुधार की परिभाषा में न होकर अतिक्रमण की परिभाषा में शुमार होती है, जिसे किसी भी रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। इस कारण विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक सिद्धान्त आर0आर0डी0 1991 पेज 297, आर0आर0डी0 1991 पेज 351, आर0आर0डी0 1991 पेज 422, सी0सी0सी0 1999 (सप्ली.) पेज 91, आर0आर0डी0 1982 पेज 307, आर0आर0डी0 1974 पेज 124, आर0आर0डी0 1974 पेज 477, आर. आर.डी. 1982 पेज 307, आर0आर0डी0 1995 पेज 640, आर0आर0डी0 1989 पेज 160, आर0आर0डी0 1989 पेज 402 में प्रतिपादित न्यायिक सिद्धान्त हस्तगत प्रकरण पर चस्पा नहीं होतें है। इसके अतिरिक्त आर0आर0टी0 2010 (1) पेज 203, आर0आर0डी0 2012 पेज 507 में प्रतिपादित न्यायिक सिद्धान्त प्रकरणाभिन्न होने के कारण हस्तगत प्रकरण पर चस्पा योग्य नहीं है, क्योंकि हस्तगत प्रकरण में अपीलाण्ट को कब्जा रखने हेतु किसी भी रूप में किसी भी शर्त पर निर्देशित नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में विद्वन अभिभाषक रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

सिद्धान्त हस्तगत प्रकरण पर पूर्ण रूप से चस्पा होतें है। चूंकि प्रकरण में विवादित भूमि वर्तमान राजस्व रेकर्ड में मन्दिर की खातेदारी दर्ज है। हमारा मत यह है कि जब मूर्ति मन्दिर शास्वत नाबालिग मानी जाती है, तो उस भूमि के सम्बन्ध में किये गये समस्त हस्तान्तरण अवैध हो जाते है। वादस्थ भूमि मन्दिर श्री गोपालजी की खातेदारी भूमि है, जिस पर कब्जा काश्त करने का किसी को भी अधिकार नहीं मिल सकता है और चूंकि उक्त भूमि शास्वत नाबालिग की है, ऐसी स्थिति में उसकी सुरक्षा का दायित्व राज्य सरकार का भी होता हैं। उपरोक्त परिस्थितियों में मेरे मत में विचारण न्यायालय द्वारा वादस्थ आराजी वादग्रस्त आराजी की सुरक्षा के उद्देश्य से रिसीवर के सुपुर्द किया है, तो उस आदेश में किसी प्रकार की कानूनी त्रुटी नहीं होना माना जा सकता है और ऐसे आदेश में हस्तक्षेप करने के भी कोई न्यायसंगत आधार होना नहीं माने जा सकतें है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने के कारण खारिज की जाती है तथा उपखण्ड अधिकारी जैतारण द्वारा राजस्व विविध प्रकरण संख्या 22/2016 मूर्ति भगवान गोपालजी बनाम राजुदास वगैरा में पारित निर्णय दिनांक 06.11.2017 को यथावत रखा जाता है। इस निर्णय की प्रति के साथ उपखण्ड अधिकारी जैतारण का मूल रेकर्ड लौटाया जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 18.12.17 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

(डॉ. बजरंगसिंह चौहान)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली